कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय,
उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) अमेठी

पत्रांक / / दिनांक

सेवा में,

जिला सूचना अधिकारी,
जनपद – अमेठी,

विषयः विकास खण्ड–जामो की ''पूरब गौरा–कटारी ग्रामीण पेयजल योजना'' के संबंध में सोशल मीडिया/समाचार माध्यमों पर प्रसारित भ्रामक खबरों का खंडन एवं वास्तविक स्थिति के स्पष्टीकरण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, कतिपय समाचार माध्यमों एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारित हो रही खबर ''अमेठी जिले में फेल हुई हर घर जल योजना'' की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना है। इस संबंध में योजना की वास्तविक एवं अद्यतन स्थिति निम्नवत है:

1. **योजना की वर्तमान प्रगतिः** पूरब गौरा–कटारी ग्रामीण पेयजल योजना का कार्य बंद नहीं है, बल्कि वर्तमान में कार्य प्रगति पर है। इस योजना के अंतर्गत कुल 03 पंप हाउस का निर्माण कार्य हो चुका है, जिसमें से 01 पंप हाउस पूर्ण रूप से क्रियाशील है। इस क्रियाशील पंप हाउस से कुल 29 पुरवों में से 06 पुरवों में डायरेक्ट पंपिंग द्वारा आंशिक जलापूर्ति सुचारू रूप से चालू कर दी गई है।

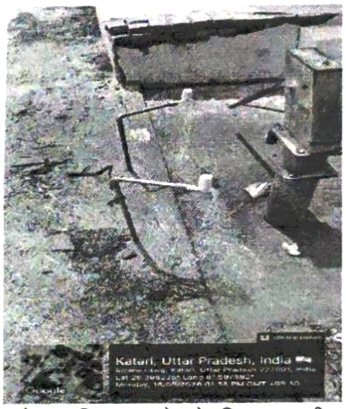

2. **टोंटी की मरम्मत एवं जन–मानस की जिम्मेदारीः** समाचार में जिस मंदिर के बाहर टोंटी न होने और पानी बहने के कारण जलभराव की बात कही गई है, वहां विभाग द्वारा पूर्व में भी 2–3 बार टोंटी लगवाई गई थी, जो क्षतिग्रस्त हो गई। शिकायत का तत्काल संज्ञान लेते हुए विभाग द्वारा वहां पुनः नई टोंटी लगवा दी गई है और वर्तमान में वहां कोई लीकेज नहीं है। यहाँ यह भी स्पष्ट करना अत्यंत आवश्यक है कि सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत टोंटियों व कनेक्शनों की सुरक्षा एवं देखरेख की जिम्मेदारी आम जनमानस की भी है। विभाग द्वारा पूर्व में भी 2–3 बार टोंटी लगवाई जा चुकी है, परंतु विभाग हर बार टोंटी बदलने के लिए बाध्य नहीं है। पानी की बर्बादी को रोकने और सरकारी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए स्थानीय स्तर पर भी नागरिकों में 'सिविक सेंस' (Civic Sense) और सहयोग की अपेक्षा की जाती है।
3. **नियमित जलापूर्ति एवं समय–सीमाः–** नियमतः किसी भी योजना में पूर्ण और नियमित जलापूर्ति कार्य शत–प्रतिशत समाप्त होने के बाद ही संभव होती है, फिर भी जनहित को देखते हुए आंशिक सप्लाई प्रारम्भ कर दी गई है। यद्यपि जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्य की समय–अवधि को बढ़ाकर वर्ष 2028 तक किया गया है, इसके बावजूद विभाग पूरी तत्परता से दिसंबर 2026 तक समस्त कार्य पूर्ण कर क्षेत्र में नियमित जलापूर्ति सुचारू रूप से चालू करने के लिए प्रतिबद्ध है।

अतः आपसे अनुरोध है कि वास्तविक स्थिति से अवगत होते हुये उचित समस्या का निस्तारण करना चाहें।

संलग्नकः–टोंटी मरम्मत के उपरांत की छायाचित्र।

भवदीय

(अनिल कुमार राव)
अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0 581 / कार्य-2 / 36 दिनांक 18/05/2026

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
2. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता(ल0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
5. अधीक्षण अभियन्ता मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), अयोध्या (कैम्प–सुलतानपुर)
6. जिलाधिकारी महोदय, अमेठी।
7. मुख्य विकास अधिकारी महोदया अमेठी।
8. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर (जल निगम/एस0डब्ल्यू0एस0एम0)।
9. जिला समन्वयक (डी0पी0एम0), अमेठी।
10. डी0पी0एम0 टी0पी0आई0 अमेठी।

अधिशासी अभियन्ता

97D:\1 NTFS_000 E\MANOJ SINGH\JANSUWAI 4 2026.DOCX